

ईसी सं. 227/ डॉस-24 /2021

संदर्भ सं.राबैं. डॉस.प्रका.सीएसआईटीई/ 3906 /सीएस-01/2021-22

31 दिसंबर 2021

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	The Chairman/Managing Director The Chief Executive Officer All Regional Rural Banks All State Co-operative Banks All District Central Co-operative Banks
--	--

महोदया/महोदय,

साइबर से संबन्धित घटनाओं की रेपोर्टिंग हेतु एन्श्योर पोर्टल में सीएसआईआर-01 और सीएसआईआर-02 रिटर्न्स की शुरुआत कृपया दिनांक 21 दिसंबर 2020 के हमारे परिपत्र सं.55 को देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि साइबर सुरक्षा से संबन्धित किसी भी घटना को अनुबंध 3 के अनुसार नाबार्ड की सीएसआईटीई सेल को फिजिकल मोड में रिपोर्ट किया जाए. 2. बैंकों द्वारा साइबर से संबन्धित घटनाओं को सुचारू रूप से और समय पर रिपोर्ट करने हेतु दो रिटर्न्स नामतः सीएसआईआर-01 और सीएसआईआर-02 को एन्श्योर पोर्टल पर शुरू किया गया है. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे साइबर घटनाओं की रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर सीएसआईआर-01 रिटर्न में करें और सीएसआईआर-02 रिटर्न में घटना के बारे में यथास्थिति अपडेट प्रस्तुत करें. 3. अनुबंध 3 के अनुसार फिजिकल मोड के माध्यम से साइबर घटना की रिपोर्ट करना अब से बंद कर दिया गया है.	Introduction of CSIR-01 and CSIR-02 return in ENSURE portal for reporting of cyber incidents Please refer to our circular no. 55 dated 21 December 2020 wherein banks have been advised to report any cyber incident to CSITE Cell of NABARD as per Annexure 3 in physical mode. 2. For smooth and timely reporting of cyber incidents by banks, two returns, viz., CSIR-01 and CSIR-02 have been published on ENSURE portal. Banks are advised to report cyber incidents within 6 hours in the CSIR-01 return and report further update on the incident in CSIR-02 return on 'as and when basis'. 3. The reporting of cyber incident in Annexure 3 through physical mode is discontinued henceforth.
---	--

भवदीय

हस्ता/-

(के एस रघुपति)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 6812 0039 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org

गाँव बढ़ें >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward